



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:3855

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामला संख्या 7466/2025

दिनेश कुमार जिंदल

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

ऋण वसूली न्यायाधिकरण, द्वारा रजिस्ट्रार एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नोएल विक्टर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता :

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

न्यायालय संख्या-17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्याश कुमार अरोड़ा को सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ (जिसे आगे 'डीआरटी' कहा जाएगा) द्वारा प्रतिभूतिकरण आवेदन संख्या 1144/2025 में दिनांक 11.11.2025 को जारी नोटिस को चुनौती दिया है। नोटिस में निम्नलिखित लिखा है:-

"जबकि, उपर्युक्त वाद में, आवेदक ने धारा 17 वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एक आवेदन दायर किया है, अनुपूरक आवेदन की प्रति इसके साथ संलग्न है।

ध्यान दें कि आपको 17 नवंबर, 2025 को सुबह 10:30 बजे न्यायाधिकरण के विद्वान रजिस्ट्रार के समक्ष स्वयं या किसी अभिवक्ता/अधिवक्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से उपस्थित होकर यह कारण बताना होगा कि उक्त अनुपूरक आवेदन को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर उक्त अनुपूरक आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई और निर्णीत किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मुहर के तहत दिनांक 11 नवंबर, 2025 को दिया गया।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि डीआरटी के रजिस्ट्रार के पास विपक्षीगण को यह आदेश देने की शक्ति नहीं है कि वे कारण बताएं कि अनुपूरक आवेदन को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अनुपूरक आवेदन को स्वीकार करना, सुनवाई करना और निस्तारण डीआरटी के क्षेत्राधिकार में आता है, और यह कार्य डीआरटी के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, न कि रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रार के समक्ष कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने के लिए तिथि निर्धारित करना कि अनुपूरक आवेदन को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, डी.आर.टी. के पीठासीन अधिकारी के समक्ष वाद को प्रस्तुत करने में अनावश्यक विलंब का कारण बनेगा, जिससे डी.आर.टी. की अंतरिम अनुतोष याचिका की सुनवाई और निस्तारण में अनावश्यक विलंब होगा और यह विलंब याचिकाकर्ता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा।

4. याचिकाकर्ता ने डीआरटी के समक्ष अनुपूरक आवेदन संख्या 1144/2025 दायर किया है। दिनांक 11.11.2025 को डीआरटी के रजिस्ट्रार ने विपक्षीगण को आक्षेपित नोटिस जारी कर उन्हें दिनांक 17.11.2025 को उपस्थित होने का निर्देश दिया। दिनांक 17.11.2025 को रजिस्ट्रार ने मामले को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.12.2025 के लिए सूचीबद्ध किया।

5. वर्तमान याचिका रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। इस न्यायालय की सुनवाई 18.12.2025 को सूचीबद्ध किया गया था, यानी अनुपूरक आवेदन के बाद किया गया था। यह मामला पहले ही डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया जा चुका था और याचिकाकर्ता की यह शिकायत कि मामला डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था, न कि रजिस्ट्रार के समक्ष, 01.12.2025 को पहले ही दूर कर दी गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. वाद के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत केवल डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुपूरक आवेदन की सूची में हुई देरी से संबंधित है, जबकि अनुपूरक आवेदन पहले ही डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध हो चुका है और इस देरी के कारण याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार की विधिक क्षति होने का कोई याचना नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को डीआरटी के समक्ष मामले का विरोध करना चाहिए और रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि रजिस्ट्रार का नोटिस जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और क्षेत्राधिकार के बिना की गई कार्रवाई को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है, भले ही इससे याचिकाकर्ता को कोई नुकसान न हो।

7. न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से अनुरोध किया कि वे इस दलील को भी डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष उठाएं और न्यायालय का समय उन वादियों के मामलों के निपटारे के लिए बचाकर रखें जिनके पास कोई अन्य उपाय नहीं है। लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वे डीआरटी में केवल वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत बैंक की कार्रवाई के विरुद्ध ही जा सकते हैं और रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस के संबंध में शिकायत डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष नहीं उठा सकते।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूंकि वे क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए इस न्यायालय को इस पर निर्णय देना चाहिए। अतः न्यायालय आगे बढ़कर यह जांच करेगा कि क्या रजिस्ट्रार को डीआरटी के समक्ष दायर प्रतिभूतिकरण आवेदन पर नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

9. उपरोक्त मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के प्रासंगिक प्रावधानों पर एक नजर डालना उचित होगा, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"4. आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) आवेदन इन नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र में आवेदक द्वारा स्वयं या उसके प्रतिनिधि द्वारा या विधिवत अधिकृत विधिक व्यवसायी द्वारा उस पीठ के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में उसका प्रकरण आता है, या पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन डाक द्वारा भेजा गया आवेदन रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त होने के दिन से ही रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के तहत आवेदन दो सेटों में एक कागज़ की पुस्तिका में प्रस्तुत किया जाएगा, साथ में एक खाली लिफाफा भी होगा जिस पर प्रतिवादियों का पूरा पता लिखा होगा और यदि प्रतिवादियों की संख्या एक से अधिक है, तो आवेदक द्वारा पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त कागज़ की पुस्तिकाएँ और प्रत्येक प्रतिवादी का पूरा पता लिखे हुए खाली लिफाफे भी प्रस्तुत किए जाएँगे।

5. आवेदनों की प्रस्तुति एवं जांच

(1) रजिस्ट्रार, या, जैसा भी मामला हो, नियम 4 के अंतर्गत उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, प्रत्येक आवेदन पर वह तिथि अंकित करेगा जिस दिन उसे प्रस्तुत किया गया है या उस नियम के अंतर्गत प्रस्तुत माना गया है और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) यदि जांच करने पर आवेदन सही पाया जाता है, तो इसे विधिवत पंजीकृत किया जाएगा और एक क्रमांक दिया जाएगा।

(3) यदि आवेदन की जांच करने पर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है, और वह त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है, तो रजिस्ट्रार संबंधित पक्ष को अपनी उपस्थिति में उसे सुधारने की अनुमति दे सकता है और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है, तो रजिस्ट्रार आवेदक को त्रुटि सुधारने के लिए उतना समय दे सकता है, जितना वह उचित समझे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) यदि संबंधित आवेदक उपनियम (3) में दी गई समयावधि के भीतर त्रुटि को ठीक करने में विफल रहता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, आवेदन को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है।

(5) उप-नियम (4) के तहत रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे आदेश के जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पीठासीन अधिकारी के समक्ष की जाएगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

12. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेज दाखिल करना

(1) प्रतिवादी आवेदन के उत्तर सहित दो पूर्ण सेट आवेदन दाखिल करने की सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर जमा कर सकता है, साथ ही पेपर बुक के रूप में दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय में जमा कर सकता है।

* * *

13. सुनवाई की तिथि और स्थान की सूचना (1) न्यायाधिकरण, पक्षकारों को आवेदन की सुनवाई की तिथि और स्थान की सूचना इस प्रकार देगा जैसा कि पीठासीन अधिकारी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे।

22. रजिस्ट्रार की शक्तियाँ और कार्य

(1) रजिस्ट्रार के पास न्यायाधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा होगी और वह ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करेगा जो इन नियमावली के तहत या पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अलग आदेश द्वारा उसे सौंपे गए हों।

(2) आधिकारिक मुहर रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(3) पीठासीन अधिकारी के किसी सामान्य या विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार से लिखित में प्राप्त प्राधिकार के बिना किसी आदेश, समन या

अन्य प्रक्रिया पर न्यायाधिकरण की मुहर नहीं लगाई जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(4) रजिस्ट्रार के लिखित में प्राप्त प्राधिकार के बिना न्यायाधिकरण द्वारा जारी किसी प्रमाणित प्रति पर न्यायाधिकरण की मुहर नहीं लगाई जाएगी।

23. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियाँ और कर्तव्य

इन नियमावली में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार को पीठासीन अधिकारी के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य प्राप्त होंगे, अर्थात्:-

(i) सभी आवेदनों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करना, जिनमें स्थानांतरित आवेदन भी शामिल हैं

(ii) आवेदनों के पंजीकरण से पहले उनकी जांच से उत्पन्न सभी प्रश्नों का निर्णय करना;

(iii) न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किसी भी आवेदन को नियमावली के अनुसार संशोधित करने का निर्देश देना;

(iv) पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अधीन, आवेदन या अन्य कार्यवाही की सुनवाई की तिथि निर्धारित करना और उसकी सूचना जारी करना;

(v) अभिलेखों में किसी भी औपचारिक संशोधन का निर्देश देना;

(vi) कार्यवाही के पक्षों को दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का आदेश देना।

(vii) न्यायाधिकरण के अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देना;

(viii) नोटिस या अन्य प्रक्रियाओं की तामील, नए नोटिस जारी करने के आवेदन, समय बढ़ाने के आवेदन, या प्रतिवादी पर तामील की किसी विशेष विधि का आदेश देने से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करना, जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन करके प्रतिस्थापन तामील करना शामिल है;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ix) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण की अभिरक्षा से अभिलेखों की मांग करना।"

10. उपरोक्त नियमावली का सरसरी तौर पर अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिभूतिकरण आवेदन आवेदक द्वारा डीआरटी के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी के निर्देशों के अधीन, रजिस्ट्रार को आवेदन या अन्य कार्यवाही की सुनवाई की तिथि निर्धारित करने और उसकी सूचना जारी करने का अधिकार है। उन्हें नोटिस या अन्य प्रक्रियाओं की तामील, नए नोटिस जारी करने या समय बढ़ाने के आवेदन, या प्रतिवादी पर तामील की किसी विशेष विधि का आदेश देने से संबंधित सभी मामलों का निपटारा करने का अधिकार है, जिसमें समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से नोटिस का प्रकाशन करके वैकल्पिक तामील भी शामिल है। रजिस्ट्रार को सभी आवेदन और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार है और प्रतिवादी आवेदन का अपना उत्तर दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री में दाखिल करेगा।

11. जब प्रतिवादी को नोटिस जारी करने की शक्ति विशेष रूप से डीआरटी के रजिस्ट्रार को प्रदान की गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि रजिस्ट्रार के पास प्रतिवादी को यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी करने की शक्ति नहीं है कि अनुपूरक आवेदन को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, और साथ ही प्रतिवादी को यह चेतावनी देने की भी शक्ति नहीं है कि यदि वह जवाब दाखिल करने में विफल रहता है, तो अनुपूरक आवेदन की सुनवाई और निर्णय एकपक्षीय किया जाएगा।

12. इसके अलावा, प्रक्रिया नियमावली के नियम 12 के अनुसार, प्रतिवादी को डीआरटी की रजिस्ट्री में दस्तावेजों के साथ आवेदन का जवाब दाखिल करना होता है, और इसलिए, रजिस्ट्रार ने प्रतिवादी को स्वयं या किसी अभिवक्ता/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश देकर सही किया है कि उक्त अनुपूरक आवेदन को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

13. इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में मुझे कोई बल नहीं दिखता कि डीआरटी के रजिस्ट्रार को प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

14. याचिका में निवेदन किया गया है कि दिनांक 18.11.2025 को याचिकाकर्ता ने डीआरटी के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजा था जिसमें कहा गया था कि रजिस्ट्रार को प्रतिवादियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है; कि पीठासीन अधिकारी के समक्ष मामले की सुनवाई से पहले नोटिस जारी करना डीआरटी (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है और यह आपति और/या तत्काल सुनवाई के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देता है क्योंकि रजिस्ट्रार को प्रतिभूतिकरण आवेदन का न्यायनिर्णयन करने की कोई शक्ति नहीं है। याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार से तत्काल नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया। याचिका में निवेदन किया गया है कि रजिस्ट्रार ने दिनांक 18.11.2025 के ईमेल का उत्तर नहीं दिया है और/या दिनांक 11.11.2025 के नोटिस को वापस नहीं लिया है। यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि नोटिस वापस लेने से अनुपूरक आवेदन की सुनवाई में कैसे तेजी आ सकती थी। बल्कि, प्रतिवादी को नोटिस जारी किए बिना और उसे तामील कराए बिना प्रतिभूतिकरण आवेदन पर सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपति आत्मघाती प्रतीत होती है।

15. यद्यपि यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया था, उक्त आवेदन की प्रति इस याचिका के अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से किसी पूर्व उदाहरण की सहायता से यह सिद्ध करने का अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप के दायरे में आती है, परन्तु उन्होंने कहा कि वे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई पूर्व उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।

17. **एस्ट्राला रबर बनाम दास एस्टेट (प्रा.) लिमिटेड.** (2001) 8 एससीसी 97 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

“6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा शक्ति और क्षेत्राधिकार के प्रयोग के दायरे और सीमा का इस न्यायालय के कई निर्णयों में विश्लेषण और स्पष्टीकरण किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अवर न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनकी अधिकार सीमा के भीतर रखे और यह सुनिश्चित करे कि वे अपने अपेक्षित या आवश्यक कर्तव्यों का पालन कानूनी तरीके से करें। उच्च न्यायालय को अवर न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के क्षेत्राधिकार में किए गए सभी प्रकार के अन्याय या गलत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निर्णयों को सुधारने का कोई असीमित विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इस शक्ति का प्रयोग और न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों में हस्तक्षेप केवल कर्तव्य की गंभीर अवहेलना और विधि या न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के घोर उल्लंघन के मामलों तक ही सीमित है, जहां उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप न करने पर गंभीर अन्याय अनसुलझा रह जाता है। यह भी सर्वविदित है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करते समय उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता या किसी ऐसी त्रुटि को सुधारने के लिए अवर न्यायालय के निर्णय के स्थान पर अपना स्वयं का निर्णय नहीं दे सकता जो अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। उच्च न्यायालय किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के तथ्यों संबंधी निष्कर्षों को रद्द कर सकता है या अनदेखा कर सकता है, यदि उन्हें उचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य न हो या निष्कर्ष इतना विकृत हो कि कोई भी तर्कसंगत व्यक्ति उस निष्कर्ष पर न पहुंच सके जिस पर न्यायालय या न्यायाधिकरण पहुंचा है।

18. **सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय:** (2003) 6 एससीसी 675 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति के दायरे को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया है: -

“38. ... हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, भले ही इसमें दोहराव का जोखिम हो, और उन्हें नीचे दिए गए अनुसार ही दोहराते हैं:

* * *

(4) संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग अवर न्यायालयों को उनके क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर रखने के लिए किया जाता है। जब कोई अवर न्यायालय ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लेता है जो उसे प्राप्त नहीं है, या ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहता है जो उसे प्राप्त है, या यदि क्षेत्राधिकार उपलब्ध होते हुए भी न्यायालय द्वारा कानून द्वारा अनुमत तरीके से नहीं किया जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय में विफलता या गंभीर अन्याय हुआ है, तो उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

(5) चाहे वह सर्टिओरारी याचिका हो या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, तथ्यों या कानून की मात्र त्रुटियों को सुधारने के लिए तब तक कोई याचिका उपलब्ध नहीं है जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हों: (i) त्रुटि कार्यवाही के मुख पर स्पष्ट और प्रत्यक्ष हो, जैसे कि जब वह कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या पूर्ण अवहेलना पर आधारित हो, और (ii) इसके कारण गंभीर अन्याय या न्याय की घोर विफलता हुई हो।

* * *

(7) रिट जारी करने की शक्ति और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग संयमित रूप से और केवल उचित प्रकरणों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ उच्च न्यायालय की न्यायिक अंतरात्मा उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करे, ताकि घोर अन्याय या गंभीर चूक न हो। किसी अवर न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त दोनों क्षेत्राधिकारों में से किसी का भी प्रयोग करते समय सावधानी, सतर्कता और विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, बशर्ते कि त्रुटि को सुधारा जा सके और अपील या पुनरीक्षण के माध्यम से कार्यवाही समाप्त होने पर उसे सुधारा जा सके। उच्च न्यायालय के रिट या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली याचिका पर विचार करने से मुकदमे या कार्यवाही के सुचारु प्रवाह और/या शीघ्र निपटान में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक हो सकता है, यदि त्रुटि ऐसी हो कि यदि उसे उसी क्षण ठीक न किया जाए, तो वह बाद में सुधार से परे हो जाए और हस्तक्षेप से इनकार करने से न्याय का मजाक उड़े या ऐसा इनकार ही वाद को लंबा खींच दे।

(8) उच्च न्यायालय, उत्प्रेषण या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, स्वयं को अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित नहीं करेगा और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन या मूल्यांकन करने या निष्कर्ष निकालने में त्रुटियों को सुधारने



या केवल औपचारिक या तकनीकी प्रकृति की त्रुटियों को सुधारने में संलग्न नहीं होगा।

* * *

19. **बी.एस. हरि बनाम भारत संघ:** (2023) 13 एससीसी 779 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि:-

50. ...हम दोहराते हैं कि अनुच्छेद 226 और/या 227 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने विवेक का प्रयोग "... केवल न्यायिक अनुभव और न्यायाधीश की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से समृद्ध न्यायिक अंतरात्मा के निर्देशों के अनुसार" करना चाहिए, जैसा कि सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय मामले में उजागर किया गया है। यह मार्गदर्शक सिद्धांत अभी भी इस क्षेत्र को नियंत्रित करता है, और राधे श्याम बनाम छबी नाथ [(2015) 5 एससीसी 423] में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सूर्य देव राय के निर्णय को आंशिक रूप से निम्नलिखित शब्दों में निरस्त किया था:

29.1. सिविल न्यायालय के न्यायिक आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं हैं।

29.2. अनुच्छेद 227 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार से भिन्न है।

29.3. सूर्य देव राय में दिए गए विपरीत मत को निरस्त किया जाता है।"

20. डीआरटी के रजिस्ट्रार ने दिनांक 11.11.2025 को विपक्षीगण को आक्षेपित नोटिस जारी कर उन्हें दिनांक 17.11.2025 को उनके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। दिनांक 17.11.2025 को रजिस्ट्रार ने मामले को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष दिनांक 01.12.2025 के लिए सूचीबद्ध किया। यह याचिका इस न्यायालय के रजिस्ट्रार के समक्ष दिनांक 18.12.2025 को प्रस्तुत की गई, यानी अनुपूरक आवेदन को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने के बाद और याचिकाकर्ता की इस शिकायत का निवारण कि मामले को डीआरटी के पीठासीन अधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए था न कि रजिस्ट्रार के समक्ष, दिनांक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



01.12.2025 को पहले ही हो जाने के बाद। इसलिए, याचिकाकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया गया है कि आक्षेपित नोटिस बिना क्षेत्राधिकार के जारी किया गया है, इसके अलावा, नोटिस ने याचिकाकर्ता के साथ न्याय की विफलता या गंभीर अन्याय नहीं किया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत याचिका दायर करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

21. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, याचिका में गुण-दोष का अभाव है और इसे प्रवेश स्तर पर ही **खारिज** किया जाता है।

22. वाद को समाप्त करने से पहले, यह दर्ज करना आवश्यक है कि आज नई याचिकाओं की सूची में 207 मामले, अतिरिक्त सूची में 128 मामले और दैनिक आईए सूची में 51 मामले सूचीबद्ध हैं। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से बार-बार अनुरोध किया कि वे न्यायालय का समय बर्बाद न करें और डीआरटी के समक्ष अपनी दलीलें पेश करें, जहां अनुपूरक आवेदन लंबित है, लेकिन उनके आग्रह के कारण न्यायालय को इस विस्तृत निर्णय द्वारा याचिका का निस्तारण करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय का बहुमूल्य समय अनावश्यक रूप से बर्बाद हुआ, जिसका उपयोग किसी अन्य वाद के निस्तारण के लिए किया जा सकता था। सामान्यता न्यायालय समय की बर्बादी के लिए जुर्माना लगाता, लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के युवा और अनुभवहीन होने और वर्ष 2024 में बार काउंसिल में पंजीकृत होने को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय उदार रुख अपना रहा है और याचिकाकर्ता पर जुर्माना नहीं लगा रहा है। हालांकि, विद्वान अधिवक्ता को यह समझना चाहिए कि यद्यपि वे न्यायालय में अपने मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे केवल उनके मुवक्किल के प्रवक्ता नहीं हैं। यदि कोई मुवक्किल किसी तुच्छ याचिका को दायर करने या कोई निराधार दलील पेश करने पर जोर देता है, तो अधिवक्ता को उसे ऐसा न करने की सलाह देनी चाहिए और ऐसे तुच्छ मामलों को स्वीकार करने से बचना चाहिए।

23. अपने मुवक्किल के प्रतिनिधि होने के साथ-साथ, एक अधिवक्ता न्यायालय का एक उत्तरदायी अधिकारी होता है और उसे प्रासंगिक कानूनों, जिनमें अधिनियम, नियमावली और पूर्व निर्णय शामिल हैं, की सहायता से, जहां तक संभव हो, अपने सटीक और संक्षिप्त तर्कों से न्यायालय की सहायता करनी चाहिए। कहा जाता है कि बार और बेंच एक ही रथ के पहिए हैं। रथ के तेज और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुचारु रूप से चलने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पहिए एक ही गति से आगे बढ़ें और पहियों का एक समूह दूसरे समूह के पहियों को रोकने का प्रयास न करे।

19 जनवरी 2026

प्रदीप/-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।